


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान.....उमरुल कदीर.....बनाम.....शकुल

किरम मुकदमा.....आश - २२४.....अपील संख्या.....११०/२०१९

अभिभाषक अपीलान्ट श्री. नरेन्द्र कुमार नरवाना.....अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
२५.३.२५	<p>पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। रेस्पोंडेन्टगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट को बहस हेतु इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(दीप्ति समचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



रीडर
श्री नरेन्द्र मोहन लाल द्वारा प्रेषित
की कोर्ट के न्यायालय
13-8-19

S.O. LUMBAH
KOTA

श्री प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
अपील सं० -

अब्दुल कबीर खान पुत्र श्री कल्लन खान उम्र- 35 वर्ष जाति मुसलमान निवासी
करवरी कला तहसील किशनगंज जिला बारां {राज०}

--- अपीलान्त

- बनाम -

1. शफूर पुत्र रमजान जाति मुसलमान, निवासी करवरी कला तह. किशनगंज
2. फारूख पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान,
3. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल वहीद जाति मुसलमान
4. आजाद पुत्र अब्दुल क्सीम जाति मुसलमान
5. रफीक पुत्र श्री छुदटन खां जाति मुसलमान
6. शकीला पुत्री श्री महमूद जाति मुसलमान निवासी गण ग्राम करवरी कला
तह० किशन गंज जिला बारां {राज०}
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारां {राज०}

रजि० रसीद
स्लगन दि० 2/9/19

-- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक- 18.07.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बारां {राज०}
बरनवान अब्दुल कबीर बनाम अ शफूर कौरह, प्रकरण सं० 35/19
अपील अन्तर्गत धारा- 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्त निम्न निवेदन करता है :-

यह कि अपील के हकीम मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त के द्वारा एक
वाद अन्तर्गत धारा- 88, 89, 188 राज० टीनेन्सी एक्ट अधिनस्थ न्यायालय मे
इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम करवरी कला तहसील किशनगंज
जिला बारां {राज०} मे स्थित आराजी ख० न० 228 की रकबा 8 बीघा 5
बिस्वा भूमि पर करीबन 80 सालों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला
आ रहा है, तथा उक्त आराजी को अपीलान्त के पिता के द्वारा रेस्पोंडेन्ट